दिल्ली विकास प्राधिकरण
(नजारत शाखा)
चतुर्थ तल, बी-ब्लॉक, आई.एन.ए., विकास सदन

स.एफ.8(22)2004/नजा./डीडीए/118 दिनांक: 21/09/2023

जिस किसी से संबंधित हो

विषयः दि.वि.प्रा. स्टाफ वाहनों हेतु पीओएल की आपूर्ति के लिए रूचि की अभिव्यक्ति ।

महोदय,

दि.वि.प्रा. एक सरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय विकास सदन, आई. एन.ए. कॉलोनी, नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में दि.वि.प्रा. के पास 48 स्टाफ वाहन हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि विकास सदन, उपराज्यपाल आवास और विकास मीनार के 3 कि.मी. के दायरे में स्थित सभी पेट्रोलियम कंपनियों की इच्छुक वितरण एजेंसियां इस पत्र के जारी होने की तिथि से सात दिन के अंदर अर्थात् 27/09/2023 तक मुहरबंद लिफाफे में विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगी शर्तों सहित अधोहस्ताक्षरी को संबंधित पत्र द्वारा दि.वि.प्रा. के वाहनों में ईंधन की आपूर्ति हेतु रुचि की अभिव्यक्ति की स्वीकृति भेजें। यह भी नोट किया जाए कि इच्छुक एजेंसियों में से विकास सदन के पास स्थित दो एजेंसियों तथा उपराज्यपाल आवास के पास स्थित एक एजेंसी और विकास मीनार के पास स्थित एक एजेंसी को इच्छुक एजेंसियों में से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली विस्तृत निबंधन एवं शर्त निम्नवत है:

1. ईंधन की आपूर्ति क्रेडिट बेसिस पर होगी।
2. पेट्रोल पंप एजेंसी द्वारा मासिक बिल प्रत्येक कैलेंडर मास की समाप्ति पर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।
3. बिल प्रस्तुत करने के 15/30 दिनों के भीतर सामान्यत: क्रॉस चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा, बशर्ते पेट्रोल पंप एजेंसी द्वारा भेजे गए बिल हर प्रकार से पूर्ण हो तथा ठीक हो।
4. दि.वि.प्रा. द्वारा किसी बिलिंग/क्रेडिट खाता रख-रखाव प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित पेट्रोल और डीजल की दरें लागू होंगी और किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि पेट्रोल/डीजल की

आपूर्ति पर विशेष छूट यदि कोई हो तो, एजेंसी द्वारा दी जा सकती है, एजेंसी, इंजन ऑयल, गीयर ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और अन्य लूब्रीकेंट/कंस्यूमेबलों आदि की आपूर्ति हेतु अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट भी प्रदान कर सकती है।

6. निम्नलिखित सुविधाएं अनुबंध अवधि के दौरान नि:शुल्क प्रदान की जाएगी:-

   (क) प्रत्येक माह 10 गाड़ियों की निःशुल्क धुलाई जिसमें बॉडी वॉश, इंजन-वॉश और एअर प्रेशर द्वारा डस्टिंग शामिल है, इसके लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

   (ख) अनुबंध अवधि के दौरान प्रत्येक कार की नि:शुल्क प्रदूषण जाँच, जब भी इसकी अंतिम तिथि हो।

7. ईंधन वितरण एजेंसी की नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए की जाएगी लेकिन एजेंसी के संतोषजनक कार्य निष्पादन पर इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
8. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे।
9. पेट्रोल एजेंसी द्वारा विभाग को तीन प्रतियों में ईंधन पर्चियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। जिसे आगे दि.वि.प्रा. के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा। प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर के बगैर खरीदी गई किसी मद का भुगतान करने की जिम्मेदारी दि.वि.प्रा. की नहीं होगी।
10. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् सहायक निदेशक (नजारत) द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित ईधन पर्ची जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एजेंसी को दिए जाएंगे।
11. पेट्रोल/ईंधन देते समय एजेंसी ड्राइवर का विवरण (जैसे नाम, मोबाइल नं. और हस्ताक्षर) लेगी।
12. एक उपभोक्ता होने के नाते दि.वि.प्रा. के पास किसी भी समय ईंधन का सैंपल प्राप्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए इस संबंध में पेट्रोल पंप एजेंसी पूरा सहयोग करेगी और दि.वि.प्रा. के पास ईंधन की मात्रा, गुणवत्ता और गाढ़ापन जांचने का अधिकार भी होगा। ऐसे मामले में आपके पेट्रोल पंप को आपत्ति करने का कोई अधिकार नही होगा।
13. दि.वि.प्रा. किसी भी अथवा सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
14. यह दर आमंत्रण पत्र किसी भी मामले में हस्तांतरणीय नहीं है। अत: केवल वह फर्म जिसे पत्र संबोधित है वहीं पेशकश का निवेदन करें।
15. पेट्रोल पंप एजेंसी किसी भी निःशुल्क सेवा, प्रोत्साहन आदि का उल्लेख कर सकती है जो दि.वि.प्रा. के लिए प्रस्ताव को अधिक आकर्षक/किफायती बनाएं।
16. विकास सदन हेतु तीन से चार पेट्रोल पंपों और विकास मीनार हेतु एक पेट्रोल पंप और उपराज्यपाल के कार्यालय हेतु एक पेट्रोल पंप का अनुमोदन किया जाएगा।

17.अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

18.संविदा के उल्लंघन पाए जाने के मामले को आयुक्त एवं सचिव के पास भेजा जाएगा। यदि दि.वि.प्रा. द्वारा बिल का भुगतान लंबित हो, तो इसे तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक दि.वि.प्रा. द्वारा मामलों का समाधान ना कर लिया जाए।

21/9/13

सहायक निदेशक (नजारत)
दि.वि.प्रा.

<u>स्वीकृत एवं</u>

ईंधन एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित